

FORM NO. III

फर्द अहकाम

अज अदालत S/D O (नियम 26) रबी 2018
 मुकाम _____
 सुदेश चन्द बनाम पुरुषोत्तम
 किस्म मुकदमा 88 R.N. नं. 67/18 सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/8/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>मौजा पुरा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>88</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>मौजा लक्ष्मीपुरा की खता सं. 182 की ख. त. 29 ख. त. 0.28 के पुरुषोत्तम, जर्बदा कारि पिता रामचन्द्र व स्वामी लई व. स्व. रामचन्द्र चण्ड के द्वारा सुदेशचन्द से पत्रावली प्राप्त की।</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>लक्ष्मीपुरा की खता सं. 182 की ख. त. 29 ख. त. 0.28 के पुरुषोत्तम, जर्बदा कारि पिता रामचन्द्र व स्वामी लई व. स्व. रामचन्द्र चण्ड के द्वारा सुदेशचन्द से पत्रावली प्राप्त की।</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठारीन अधिकारी, लोक अदालत

उपस्थित अधिकारी एवं

पदेन सहायक लेखक

बडीसादडी (राज.)

